:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :– श्रीकान्त व्यास आर.ए.एस.
मूकदमा नम्बरः– 264/15

दायर दिनांकः–15.12.2015
निर्णय दिनांकः–04.03.2022

1. ताजु पिता कलजी मीणा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी पियोला पंचकुण्डी त. चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान

वादी

बनाम

1. शंकर पिता हवजी बामणीया निवासी पियोला पंचकुण्डी
2. इटली पत्नि कचरा बामणीया निवासी पियोला पंचकुण्डी
3. श्रीमति शान्ता पत्नि शंकर बामणीया निवासी पियोला पंचकुण्डी
4. धनजी पिता भूरा बामणीया निवासी पियोला पंचकुण्डी
5. रमण पिता धनजी बामणीया निवासी पियोला पंचकुण्डी त. चिखली जिला डूंगरपुर
6. श्री राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चिखली डूंगरपुर

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188,92ए,209 रा.टि.एक्ट सपठित धारा 151 जा.दि.

उपस्थितः–
1– श्री भगवान गुर्जर वकील वादी

:: निर्णय ::

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही गॉव के रहने वाले है। वादी एवं उसके परिवार के अन्य सहखातेदारों के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि ग्राम पियोला त. चिखली जिला डूंगरपुर में स्थित है। जिसका खसरा नम्बर 3,4,5,6,7,8,9,10,11,40,41,43,308,309,310,311 होकर रकबा कमशः 43 बिघा 12 बिस्वा है।

यह कि वादी एवं अन्य सहखातेदारान का उपरोक्त भूमि पर कब्जा काश्त है। वादी एवं अन्य सहखातेदारान ने अपनी भूमि प्रतिवादीगण को विकय या हस्तान्तरित नहीं की है। उसके बावजूद प्रतिवादीगण वादी एवं उसके परिवार से लडाई झगडा करने आमादा रहते है। तथा वादी की भूमि पर कब्जा अतिक्रमण निर्माण की धमकिया देते है।

यह कि दिनांक 22/11/2015 को प्रतिवादीगण वादी के खेत आराजी नम्बर 3 में ज.सी.बी. लेकर आये भूमि का समतलीकरण करने लगे जिस पर वादी तथा अन्य सहखातेदारान द्वारा प्रतिवादीगण को समझाया कि क्या अकारण विवाद करने हमारे खते में जे.सी.बी. चला रहे हो तो प्रतिवादीगण कहने लगे इस जमीन पर हम कब्जा करना चाहते है यदि किसी ने रोकने की कोशिश की तो वाहन के निचे डाल दिये जाओगे। हम इस खेत में मकान निर्माण करके रहेगें। अब इस भूमि को हम प्रतिवादीगण ही कमायेंगे तथा यदि वादी या उसके परिवार ने रोकने की कोशिश की तो जान से वादी या उसके परिवार को हाथ धोना पडेगा तथा प्रतिवादीगण यह भी धमकी देने लगे कि प्रतिवादीगण इस भूमि में मकान निर्माण करेंगे।

यह कि प्रतिवादीगण अकारण वादग्रस्त भूमि खसरा न. 3 को लेकर अकारण विवाद कर रहे है तथा मौके पर निर्माण की धमकी भी देने लगे है और धमकी देकर गये है। यह कि प्रतिवादीगण के कृत्य से यह स्पष्ट होने पर की वह वादी तथा अन्य सहखातेदारान को काश्त नही करने देंगे ऐसी परिस्थिति में वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण के लडाई झगडे को लेकर वादी काफी मानसिक रूप से परेशान है। क्योंकि कृषि ही वादी व उसके परिवार तथा अन्य सहखातेदारान की आय का एक मात्र जरिया है।

यह कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के खिलाफ इस बात की स्थायी निषधाज्ञा जारी की जानी आवश्यक है कि प्रतिवादीगण वादी व अन्य सहखातेदारान के कब्जे काश्त की भूमि जिसका वर्णन वाद के कॉलम संख्या 2 में किया है पर वादी तथा अन्य सहखातेदारान के कब्जे काश्त कार्य में रूकावट पैदा न करे वादी या अन्य सहखातेदारान को तंग परेशान न करें। वादी तथा उसके परिवार को वादग्रस्त भूमि में बूवाई जूताई शांतिपूर्ण ढंग से करने दे। की जाने वाली व की गई फसल को नूकसान नहीं पहूचावे व फसल को काटकर चूराकर न ले जावें। पशुओं से न खिला देवें। वादी की भूमि में किसी प्रकार के कब्जे अतिकमण निर्माण न स्वयं करे न अपने परिवारजन मित्र एजेन्ट ठेकेदार से करावे दौराने वाद किसी प्रकार का

कब्जा अतिक्रमण निर्माण वादग्रस्त भूमि में किया जाता है तो उसे विध्वंस किया जाकर कब्जा दिलाया जावें तथा हर्जाना दिलाया जावें।

वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीयो को जरिए समन तलब किया गया। तलब किया जाने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की ओर से श्री श्रीकान्त जैन का वकालतनामा पेश हुआ। प्रकरण में दिनांक 10.11.2016 को प्रतिवादीगण की ओर से वकील द्वारा जवाब दावा पेश किया गया।

वकील वादी की ओर से शपथ पत्र श्री ताजु पिता कलजी के दिनांक 07.02.2017 को पेश किये तथा दिनांक 13.03.2019 को साक्ष्य के पक्ष में प्रभूलाल एवं अमृतलाल के शपथ पत्र पेश किये। दिनांक 02.09.2019 को वकील वादी ने वकील प्रति से श्री ताजू की जिरह पूर्ण करवाई। दिनांक 18.03.2020 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद कर पत्रावली एक पक्षीय बहस हेतु नियत की गयी। दिनांक 09.09.2021 वादी की ओर से वकील श्री भगवान गुर्जर का वकालतनामा पेश हुआ। दिनांक 04.02.2022 को वकील वादी की एक पक्षीय बहस सूनी गई।

प्रकरण में एकपक्षीय बहस समाहित की गयी। वादी वकील द्वारा अवगत कराया कि वादी मेहनत मजदूरी कर कृषि कर अपना व अपने परिवार का गूजारा करता है एवं प्रतिवादीण के लडाई झगडे से वादी काफी आहत व परेशान है।

हमारे द्वारा विद्वान वकील की एकपक्षीय बहस समाहित की गयी तथा पत्रावली का गोर अध्ययन किया गया।

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा पियोला तहसील चिखली में वादी के हक के खसरा नं0 3,4,5,6,7,8,9,10,11,40,41,43,308,309,310,311 होकर रकबा कमशः 43 बिघा 12 बिस्वा भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से परेशान, निर्माण अथवा बेदखल नही करे तथा नही किसी अन्य से करावे। पत्रावली फेसल में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2022 को सरे ईजलास किया गया ।

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली